

फर्द अहकाम
(नियम-26)

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़ (राज0)

श्री माधोलाल मीणा पुत्र स्व. रतनलाल मीणा, ग्राम पंचायत फाचर अहिरान, गांव मीणों का बास लक्ष्मीपुरा, पोस्ट रसुलपुरा वाया-निम्बाहेड़ा, तहसील निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़-312620
बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं सचिव, ग्राम पंचायत फाचर अहिरान, पंचायत समिति निम्बाहेड़ा
किस्म प्रकरण अपील सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
प्रकरण संख्या 99/2017

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19.12.2017	<p>सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत अपीलार्थी श्री माधोलाल मीणा पुत्र स्व. रतनलाल मीणा निवासी मीणों का बास लक्ष्मीपुरा, पोस्ट रसुलपुरा द्वारा सूचना प्राप्ति हेतु दिनांक 16.10.2017 को लोक सूचना अधिकारी एवं सचिव, ग्राम पंचायत, फाचर अहिरान, पंचायत समिति, निम्बाहेड़ा के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने पर, लोक सूचना अधिकारी एवं सचिव, ग्राम पंचायत, फाचर अहिरान, पंचायत समिति, निम्बाहेड़ा द्वारा प्रार्थी को समय पर सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस कार्यालय को प्रस्तुत की गयी है।</p> <p>यहां यह उल्लेखनीय है कि यह कार्यालय लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) का अपीलीय प्राधिकारी होकर लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत निर्धारित अवधि में सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर ही अपील ग्रहण करता है। लोक सूचना अधिकारी एवं सचिव, ग्राम पंचायत, फाचर अहिरान, पंचायत समिति, निम्बाहेड़ा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) की श्रेणी के अन्तर्गत नहीं आते हैं।</p> <p>चूंकि लोक सूचना अधिकारी एवं सचिव, ग्राम पंचायत, फाचर अहिरान, पंचायत समिति, निम्बाहेड़ा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) की श्रेणी में नहीं आते हैं, जिससे प्रस्तुत अपील पर इस कार्यालय द्वारा सुनवाई नहीं की जा सकती है। अतः अपीलार्थी को संबंधित अपीलीय प्राधिकारी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, निम्बाहेड़ा के यहां अपील प्रस्तुत करने के निर्देशों के साथ अपील निस्तारित की जाती है। निर्णय की प्रति संबंधित को प्रेषित की जावे।</p>	